राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प.1(52)एमई/ग्रुप–1/83 जयपुर, दिनांकः 15 JUN 2018

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा पर महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नांकित अभ्यर्थी को वरिष्ठ प्रदर्शक, कम्यूनिटी मेडिसिन के पद पर पे–मेट्रिक्स में लेवल–14 (56100–177500) में वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15(1)एफडी/रूल्स/17 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक रूपये 39,300/– प्रतिमाह की दर पर तथा वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 03.07.2014 के तहत अस्थाई रूप से एक वर्ष के परीवीक्षाकाल पर कार्यभार ग्रहण की तिथि से उसके नाम के सम्मुख अंकित मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति प्रदान करते है :–

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम व पता	मेरिट क्रमांक	जन्मतिथि	वर्ग	पदस्थापन स्थान
1	डॉ. अरूण कुमार पुत्र श्री सुमेर दान बारठ c/o श्री सीता राम वर्मा, एम–21, लेन नम्बर–3, हरि मार्ग सिविल लाईन, जयपुर।	08	01.09.1983	पिछड़ा वर्ग	मेडिकल कॉलेज, जोधपुर

उपरोक्त पद पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम 1962 की पद्धति एवं प्रावधान, शर्तों, सेवा नियमों व राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र/आदेश संख्या प08(1)कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 06.09.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प015 (7)वित्त/नियम/1997 दिनांक 14.01.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के अनुबोधक (Memorandum) क्रमांक 13(1)वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.03.2004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प06(5)वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.07.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होगें।

उपरोक्त अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन करा लिया गया है। अभ्यर्थी की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र (आर.पी.एस.सी. से प्राप्त छायाप्रति के आधार पर) से सत्यापित कर ली गई है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर पदस्थापित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होगा/अन्यथा यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेगें।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यधीन निबन्धकों एवं शर्तों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यधीन होगी।

आदेश से,

(रतन लाल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक प.7(60)भर्ती ''ख'' / 2008–09 / 13 दिनांक 26.04.2018 के संदर्भ में।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।
5. संबंधित अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
6. रक्षित पत्रावली।

(महेश व्यास)
शासन सहायक सचिव